ISSN: 2348-1390

NEW MAN

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES

VOL. 4 SPECIAL ISSUE AUGUST 2017

A REFEREED AND INDEXED E-JOURNAL

IMPACT FACTOR: 4.321 (IIJIF)

UGC Approved Journal No. 45886

Special Issue

On the occasion of National Seminar on

Women Safety: Challenges and Remedies

Organized by

Late Ramesh Warpudkar College, Sonpeth and

Shri Panditguru Pardikar College, Sirsala

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth, Dist. Parbhani

Chief Editor

Dr Kalyan Gangarde

[illegible]

Prin. Dr V D Satpute

Prin. Dr. R T Bedre

Associate Editors

Dr. M G Somwanshi, Mr. P T Jondhale, Dr. S A Tengse, Dr. U Y Mane, Mr. A K Jadhav, Dr. A B Walke

NEW MAN PUBLICATION

PARBHANI (MAHARASHTRA)

Contact: [illegible] 9730721393 [illegible]

53 Important Role Of Education In Women Empowerment / Varma Kirankumari

SECTION 'C'

54 कामकाजी महिलाओं का यौन-उत्पीडन / प्रा.डॉ. राम सदाशिव बडे
55. हिंदी उपन्यास में कामकाजी स्त्री की त्रासदी / डॉ. बाहेती कांचनमाला पांडुरंग
56. मीडिया, समाज और नारी छवि / प्रा.डॉ.टेंगसे दिग्विजय माणिकराव
57 महिला सुरक्षा -कानूनी एवंम सामाजिक अधिकार / प्रा.डॉ.गोपाल गांगडे
58. महिला हिंसा एवं कानून /प्रा. पाटील कल्याण शिवाजीराव
59 महिलाओ के प्रती घरेलू हिंसा /डॉ. छाया करकरे
60. मैत्रेयी पुष्पा कृत 'जाना तो बाहर ही है' में नारी समस्या / प्रा. डॉ. रंजिता बलभीम कावळे
61 भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिती एवं सुरक्षा /कुलकर्णी कृष्णकुमार बालासाहेब
62 वैचारिक पृष्ठभूमि और नारी / प्रा.डॉ.कुलकर्णी वनिता बापुराव
63. महिला सुरक्षा एवं कानुनी अधिकार / डॉ.संतोष बाबुराव कुन्हे
64. शंकर पुणतांबेकर के व्यंग्य में व्यक्त नारी चेतना /प्रा. मारोती भारतराव लुटे
65 महिलाओं के अधिकार और कानून / प्रा. पोटकुले हिरा तुकाराम
66. महिला विकास एवं आर्थीक अधिकारों की सुरक्षा / प्रा.डॉ.डी.बी. सोळूंके
67. तसलीमा नसरीन के साहित्य में नारी शोषण के विभिन्न रूप / प्रा. डॉ. शे. रज़िया शहनाज़ शे. अब्दुल्ला
68. भारतीय समाज की मानसीकता और स्त्री / प्रा.डॉ.वडचकर एम.ए.

SECTION 'D'

69. भारतीय महिलांचे मानव अधिकार व न्यायालयीन आदेशांचा अभ्यास / आकाशे एस.एम.
70. महिला सुरक्षिततेविषयी अस्तीत्वात असलेल्या कायद्याची कार्यक्षमता / प्रा. डॉ. अकोलकर आशा दगडू
71 आधुनिक काळातील महिलांची लैंगिक छेडछाड एक गंभीर समस्या / आळणे अशोक बालाजी , वलखंडे चंद्रशेखर लक्ष्मण
72 महिला विषयीचा पारंपारिक सामाजिक दृष्टीकोन / प्रा. डॉ. शशिकांत मुकुंदराव आलटे
73 भारतीय महिला सुरक्षा विषयक कायदे / प्रा.डॉ.आंधळे बी.व्हि.
74 नोकरी व व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार : विशाखा दिशानिर्देश आणि २०१३ चा कायदा डॉ.अनुराधा हणमंतराव पाटील. प्रा.डॉ.उल्का देशमुख
75 कौटुंबिक हिंसाचार कायदा :- २००५ / प्रा. औचित्ये बेंजामिन चार्ल्स
76 स्त्रीभ्रूणहत्या: कारणे आणि उपाय / डॉ. अमोल काळे , प्रा. जाधव ए. के.
77 कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार / प्रा. बळीराम पवार
78 कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई,निवारण) कायदा २०१३ / डॉ.बने रेखा रामनाथ
79 महिलांवर होणाऱ्या हिंसेचा समाजशास्त्रीय अभ्यास / डॉ.सुनंदा भद्रशेटे
80 महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरण: जाणीव व जागृती / प्रा.डॉ.डी.के.खोकले, प्रा.डॉ.सुधाकर भालेराव
81 भारतीय महिला सुरक्षाची आव्हाने / डॉ.भांगे चंद्रकांत बन्सीधर
82 भारतातील भाडोत्री किंवा सरोगसी माता / डॉ. रामचंद्र मुंजाजी भिसे.
83. गृहविज्ञान विषयाची व्याप्ती आणि सुवर्णसंधी / प्रा.सौ.बोरीवाले एम.पी.
84 कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण २०१३ चा कायदा व सद्य स्थिती / प्रा.चाटसे अशोक जयाजी
85 उच्च शिक्षणामध्ये महिलांच्या समस्या - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन / प्रा.डॉ.चव्हाण एस.जी.
86 कौटुंबिक हिंसाचार : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास / प्रा. चव्हाण रामराव धेनू

Lal Bahadur Ramesh Warpudkar (ACS) College Sonpeth Dist. Parbhani

68.

भारतीय समाज की मानसीकता और स्त्री

प्रा.डॉ.वडचकर एस.ए
दुरभाषा - ०८९८३८४८७८८
कै. रमेश वरपुडकर महा. सोनपेठ जि.परभणी

मानवी जीवन यापन करने की पध्दती उसकी मानसीकता पर निर्भर करती है और यह मानसिकता उसकी परंपरागत रही है। मानव हजारों सालोंसे जिस मानसिकता का गुलाम है उसमें सबसे केंद्र में पुरूष प्रधान संस्कृती रही है। जिसमें स्त्री को दुय्यम स्थान मिला है। स्त्री में अनेक वर्षो की परंपरा मानकर गुलामी को स्वीकार करलिया है। हम भारतीय परंपराओं और सभ्यता को विश्व में श्रेष्ठतम मानते है, किंतू यह भी सत्य है कि हमारे भारतीयों में भी कई बार स्त्री को केवल भोग की वस्तू ही माना गया है। भक्तिकालीन संतो ने स्त्री के कामिनी रूप से दुर रहने की सलाह इसीलीए दी है। आज परिस्थीतीयां बदल गयी है, स्त्री आज पुरूष के कंधे से कंधा लगाकर काम कर रही है. इतनाही नही स्त्री ने आज कुछ क्षेत्रों में पुरूषों को पिछे छोड दिया है। जो काम पुरूषों का माना जाता था उसमें भी स्त्रीयोंने अपना कब्जा जमा लिया है। राजनीती, सामाजिक, वैज्ञानिक, नवनिर्मिती, शिक्षा, सुरक्षा, खेल-कुद आदि के साथ जीवन के जटील कामों में भी स्त्री ने अपने आप को सौंप दिया है। आज हम देखते है हिंदुस्तान में मोटार, कार ड्रायव्हींग विमानिक, किसान,खेत, खलिहान पर कब्जा तो कर लिया है साथ ही साथ कई स्त्रियां ऐसी भी है जो बिना पुरूष के अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर रही है, पुरूष प्रधान संस्कृती में पुरूषों मानसिकता को बदलना कोई आसान काम नही है। इस विषय पर डॉ. रणसुभेजीका मतव्य है प्रश्न केवल स्त्री की मानसिकता को बदलने का नही, पुरूष की मानसिकता में भी मुलभूत परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकी हजारों वर्षोसे उसे यह सीखाया गया है की, स्त्री या तो श्रध्दा की अधिकारणी है। माँ या बहन नारी तुम केवल श्रध्दा है। अथवा भोग की पत्नी या वेश्या। आधुनिक समय में स्त्रीयो अपने कर्तव्य तथा सक्षमता का परिचय दुनिया भर में देने लगी है, तो दुसरी ओर एक वर्ग आज भी स्त्री को केवल भोग की वस्तु, मनोरंजन का साधन और मानव जाती को उत्पादन करने वाली मशीन के रूप में ही स्विकार करने की मानसिकता का गुलाम है।

स्त्री की सुरक्षा उसकी इज्जत को अपनी इज्जत मानकर समाज ने हजारों बंधनों में बांधा है। जाती धर्म और संस्कारों के नामपर समाज ने कुप्रवृत्तीयों के कारण आन-बान और कहीं-कहीं पर शान तक बनाया है। घर में लडका - लडकी में अंतर किया जाता है। लडकी घर से बाहर निकलती तो उसके वापस लौटने की फिक्र माँ बाप करते है, किंतू लडके की नही जितने भी हो सके पुरूषों ने बंधन स्त्रीयों पर लादे है इन सभी बंधनों को बोझ ढोते हुए भी स्त्री ने अपने कर्तव्य का पालन करके बेटी, बहन, बहू,माँ जैसे रिश्तो को निभाते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर आदर और हुनर दिखा रहा है। हिंदूस्तान में स्त्री उध्दार को लेकर संतो के साथ-साथ राजाराम मोहनराय, बालगंगाधर तिलक, सर सय्यद अहमद खां, भीमराव अंबेडकर, छत्रपती शाहुजी महाराज, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, कांशीराम या महिलाओं में रजिया सुलतान, लक्ष्मीबाई, चांदबीबी, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, जीनत महल आदि ने विधायक और रचनात्मक कार्य किया है। कालांतर में भारतीय समाज सुधारकोंने उन्नसवी शती के उत्तरार्ध में स्त्री को लेकर चिंतन, मनन का प्रारंभ किया है, विश्वभर में महिला-दिन, मानवाधिकार, स्त्री समानता, स्त्री - हक्क, स्त्री सुरक्षा को लेकर गंभीरता से विचार किया जाने लगा है।

हिन्दी साहित्य में संतो के प्रयासों के बाद आधुनिक काल के कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, निराला,प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, फणीश्वरनाथरेणूजी आदि साहित्यकारोंने स्त्री सबलीकरण को लेकर अपनी कलम चलाई है मैथिलीशरणजीने तो रामकथा का नये सिरे से रचने का प्रयास किया है। पुरूषोत्तम राम के जगह लक्ष्मण और पत्नी उर्मिला को नायिका की हक्कदार बनाकर कैकयी को भी क्षमा का पात्र बनाया है। मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री विमर्श और वेदना को [illegible] लोक चरित्रों के माध्यम से स्त्री जीवन के सामाजिक चित्रों को उभारा है। मैत्रेयी पुष्पा के विषय अन्य लेखकों की अपेक्षा अलग है। विषय अत्यंत मार्मिक एवं संवेदनापुर्ण है। उनमें स्त्री की अस्मिता, आकांक्षा है, पुरूष की मानसिकता को बदलना है जो तसलिमा नसरीन, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल आदि लेखिकाओं में रहा है सिधी-सी बात है, समाज में भिडने के लिए [illegible]

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth, Dist. Parbhani

समाज के दबाव को झेलने के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती चाहिए उसकी शुरुआत [illegible] तीनों प्रकार की मजबूती थीं यहां जबतक महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर विचार करते है, तब सबसे पहले सवाल उठता है कौन नहीं जानता कि संपती में बंटवारे को लेकर समाज कितना पुरुषवादी है। [illegible] कानूनी कार्यवाहीयों के जरिए खुद को फायदे में रखने की खातीर कितने वकीलों -जजों को मुनाफा देते है इसके अलावा भी पुरूषों के विचार और साहित्य की दुनिया पर नजर डालें तो शायद ही कोई हो जो न मानता हो की महिलाओं का सशक्तीकरण की जरूरत है। जो स्त्री लेखन करता नहीं वह भी, सामाजिक भी कहते है कि समाज में औरतों की हालत [illegible] है।

आज कल तो पुरूषों द्वारा कहानी - कविता के जरिये स्त्रियों की दयनीयता को महसूसने की होड लग गई है ऐसे में जरूरी है की इनसे कह दे की जरा आत्मावलोकन करे । जो कविताएं स्त्री और स्त्री चरित्रों का आह्वान करती है। मां, नानी, दादी, बेटी, बहू, बहन के रूप में समझाती है किंतु इन्सान के रूप में नहीं। जो खानदान में नयगुदा गले में डल गयी और भुल गयी की वे अपने आपमें एक इन्सान भी है। जिसके होने से परिवार की कई जिंदगीयां तो संवर गई मगर खुद उसका वजुद मिट गया | पुरूष लेखकोंने अनुभव के स्तर पर स्त्रीपन में प्रवेश कर वहां से खुद औरत बनकर दुनिया को देखा है [illegible] और तरिका है स्त्री केंद्रित कलम का जो महिलाओं को बराबरी, इन्साफ और हक हासिल करने के लिए लडना ही नहीं आह्वाहन के साथ-साथ धिक्कार भी करता है, जो औरत के संकोच, बुजदिली, धर्मभीरूता सम्स्कारी और सुशील बनाव को छोड आगज्वाला बनने की चेतावनी देता है।

यहाँ हमदर्दी-भरे लेखन विश्लेषन में इमानदारी की बेहद कमी है। जिनपर पुरूष-समाज की मौन स्वीकृती जारी है जो महिला सबलीकरण मे सबसे बडी बाधा है। स्त्री मुक्ती के नारे लगानेवालों ने पिता - भाई के रूप में क्या आपने अपनी बहन या बेटी को परिवार की जायदाद में हिस्सा दिया ? अगर पिता - भाई के रूप में पुरूष इमानदार और न्यायप्रिय नहीं है तो उनकी बेटीयाँ-बहनें अबलाएं ही बनी रहेगी। पती - ससुराल और समाज में हैसियत-हिन बनने की प्रक्रिया मायके में ही शुरू होती है जब लगता है

१) विवेकशिल होने के लिए शिक्षा नही मिलती |

२) आत्मविश्वासी होने के लिए आजादी नहीं मिलती|

३) आत्मनिर्भर होने के लिए परिवार- पिता की जायदाद में हक बराबर हिस्सा नहीं मिलता|

उपरोक्त तीनों प्रकार के धन से मायके में ही मिलने चाहिए | अगर स्त्री इसमें कमी है तो क्या ससुराल ही नहीं पर समाज के सामने भी सम्मान की जिंदगी नही जी सकती और नहीं उसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता पर कितने भी भाषण देने से कुछ भला नही हो सकता| स्त्री जीवन की चिन्ताएं सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के मुद्दों के रूप में विश्लेषित हुई है। यह सच ही है महिला लेखन में लगातार कुछ नया और उध्देलित करता हुआ सच सामने आने लगा है। सबसे बडी चिंता यही है की सम्पूर्ण सामाजिक और पारिवारीक ढांचे में स्त्री को जगह तलाश करना एक साजिश यह हुई है कि स्त्री के मन को उसकी देह से अलग कर दिया है। उसकी आत्मा को मारकर, सोच की शक्ती को कुचलकर केवल देह को ही केन्द्र में रखा गया है। स्त्री शोषण का मुख्य आधार शारीरीक दृष्टी से ही अधिक है| हां मध्य वर्ग में स्त्री शिक्षा की वजह से लडकियों की शिक्षा आगे बढी है सरकारी नितीयों की वजह से लडकियों की शिक्षा आगे बढी है किंतु मर्द की जहां अपनी ताकत- हैसियत को स्तर पर भागिदारी की बात आती है, वहां स्त्री सारासार मुर्जारम की भुमिका में है| तब वह दहेज या अन्य सामाजिक कुरितियों की आड में छिपकर मिमियाता है। तब पलायनवादी तर्क सामने आता है। कि बेटी-बहन को तो ससुराल से भी मिलता है [illegible] पुरूष यह नहीं सोचता की वह खुद अपने खुन, अपनी औलाद को नहीं दे रहे तो वो पराए लोग जो दहेज के बदले ले गये वे अपनी जमीन जायदाद स्त्री के नाम लिखवाएंगे ? हे पुरूषों जिस दिन बेटी के पास पलटकर वापस आने का सबल अपना घर होगा, जिस दिन [illegible] से वह मुक्त होगी, जिस दिन धार्मिक, कर्मकांण्ड, बाह्यडम्बर आदि से मुक्त हो संबल जायेगी उसी दिन बहुए-पत्नीयां आत्मसम्मानी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर जरूर होगी।

स्त्री-विषयक चर्चित मुद्दों में एक और समस्या स्त्री के मन को कचोटती रहती है और वह है स्त्री देह को मानसिक [illegible] से मुक्त करवाकर स्वांत: सुखाय भोग का मामला| स्त्रीयां खामखाह अपने शरीर के प्रती अत्याधिक सतर्क होकर गुलामी में जकडी हुई है कैसे वह शुचितावादी धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को ढोकर जीवन सुख से खुद को वंचित कर रही है कैसे वह समाज निर्मित भुमिकाओं में फंसकर रह गई है और एक स्वच्छंद स्त्री होने के सुख से वंचित है।

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth
Dist. Parbhani

UGC Approved Journal No. 45886
Impact Factor [illegible]

स्त्री सशक्तीकरण में पुरुष वर्ग किसी तरह भी घाटे में नहीं है। परिवार की संरचना, [illegible] एकछत्र राजा बन बैठा है। उसकी सत्ता पर कहीं से आंच नहीं आ रही है। वह कमजोर, अधिकारहीन, [illegible] संपत्तिहीन महिलाओं से घिरा हुआ है। समाज में न्यायप्रिय, आधुनिक प्रगतिशील, स्त्रीवादी [illegible] सिद्धांतवादियों को अपनी वाणी में आत्मसात कर सामा-सम्मत बात करता है। स्त्री और समुदाय को [illegible] बिखर गए हैं। उनपर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम अब भी अपनी गुप्त चेतना का [illegible] स्त्रियों से सम्बन्धित कई धार्मिक और सामाजिक विषय से है जिन्हें हम प्रथा कह कर सहन्य ही [illegible] चलता आ रहा व्रत, अनुष्ठान, पूजापाठ के कर्मकांडों से स्त्रियाँ वैसे ही जकड़ी हुई है फिर अब [illegible] भी आ जुड़े हैं। अब उन्हें दुनिया देखने की फुर्सत ही कहां है? गहने, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनों से [illegible] समस्या का बोध ही नहीं है। एक विचित्र किन्तु सामाजिक अनिवार्यता है कि नैतिकता से जितनी टकराहट स्त्री को [illegible] प्रश्न उससे पूछे जाते है उससे आधे से भी कम पुरुषों से नहीं पूछे जाते है। मिडीया और बाजार ने स्त्री की [illegible] को खण्डित किया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह एक अलग बहस का मुद्दा है। फिलहाल इतना जरूर कहना चाहूंगा कि [illegible] स्वतंत्र लेखों और वक्तव्यों में साहित्यकारानों जो प्रखरता और स्त्री जीवन के जरूरी सवालों के प्रति सजगता व्यक्त की है, वह कहानियों में और समाज में व्यक्त होना शेष है।

□□□

PRINCIPAL
Late Ramesh Warpudkar (ACS)
College, Sonpeth Dist. Parbhani

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani